(घ) क्या सरकार इस नियम में परिवर्तन करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि उसने वर्ष 1985-86 से न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता (एमआई) मानदंड शुरू किया था जिसके तहत राज्य सहकारी बैंकों और केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अपने निवल उधारयोग्य संसाधनों का क्रमशः न्यूनतम 25% और 40% अल्पावधिक कृषि ऋण में अंतर्ग्रस्त करना होता है और भारतीय रिजर्व बैंक/नाबार्ड से मौसमी कृषि परिचालनों के लिए केवल ऐसे ऋणों में उनकी अधिक अंतर्ग्रस्तता की राशि के बराबर ही पुनर्वित्त प्राप्त करना चाहिए। यह मानदंड सहकारी बैंकों की पुनर्वित्त सहायता पर निर्भरता कम करने और उनमें आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

(ख) केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा जमा संसाधन जुटाने की औसत लागत लगभग 11.5% बैठती है और नवम्बर, 1991 से प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को दिए गए अल्पावधिक कृषि ऋणों पर उनके द्वारा वसूली योग्य ब्याज की दर 9% है।

(ग) केन्द्रीय सहकारी बैंक, कुल मिलाकर 2.5% की कमी को 3% और 7% के बीच रियायती ब्याज दर पर नाबार्ड/राज्य सहकारी बैंकों से पुनर्वित्त प्राप्त करके पूरा करते हैं, जो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के नाम बकाया ऋणों की तुलना में उनके द्वारा लिए गए पुनर्वित्त के अनुपात पर निर्भर करता है।

(घ) नाबार्ड ने न्यूनतम अंतर्ग्रस्तता अनुशासन के समग्र उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान मानदंडों की समीक्षा करने और उपयुक्त संसाधनों का सुझाव देने के लिए अक्तूबर, 1992 में एक अध्ययन समूह का गठन किया था। अध्ययन समूह की रिपोर्ट को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक की नई-शाखाओं की स्थापना किया जाना

5250. **श्री मूलचन्द मीणा:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रिजर्व बैंक देश के महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्रों पर नए कार्यालय/शाखाएं स्थापित करने का विचार रखता है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन से स्थानों को चुना गया है;

(घ) क्या नए कार्यालय स्थापित करने के लिए भूमि मांगी गई है/अधिगृहित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि देश में किसी भी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और औद्योगिक केन्द्रों में नए कार्यालय/शाखायें खोलने की इस समय उसकी कोई योजना नहीं है।

(ख) से (ङ) ये सवाल ही नहीं उठते।

नाबार्ड द्वारा निर्धारित ब्याज दर

5251. **श्री कैलाश नारायण सारंग:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1993 के पहले और पश्चात नाबार्ड द्वारा दिए गए अल्पकालीन ऋणों के आहरण के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित ब्याज दर क्या है;

(ख) कमजोर सहकारी बैंकों और प्राथमिक सहकारी समितियों पर ब्याज दर में इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) क्या सरकार ब्याज दर में इस परिवर्तन को वापस लेने पर विचार करेगी?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) और (ख) राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सूचित किया है कि अल्पावधिक मौसमी कृषि परिचालन पुनर्वित्त पर राज्य सहकारी बैंकों (एससीबी) से उनके द्वारा प्रभारित ब्याज दर और उसका आधार निम्नलिखित हैं:

राज्य में सभी डीसीसीबी के संबंध में पीएसी के लिए बकाया औसत एसएओ ऋण के प्रतिशत के रूप में नाबार्ड से एससीबी के औसत उधार	एसएओ के लिए नाबार्ड के पुनर्वित्त पर प्रभारित ब्याज दर
37. से कम	3.0
37 और अधिक परन्तु 40 से कम . . .	3.5
40 और अधिक परन्तु 45 से कम . . .	4.0
45 और अधिक परन्तु 50 से कम . . .	4.5
50 और अधिक परन्तु 58 से कम . . .	5.0
58 और अधिक परन्तु 67 से कम . . .	5.5
67 और अधिक परन्तु 80 से कम . . .	6.0
80 और अधिक	6.5